परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

प्रस्तावना

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिये की जाती हैं तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 31 मार्च 2018 तक, राजस्थान में 43 पीएसयूज थे, जिनमें तीन[1] सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कंपनियां (जिनमें तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां[2] सम्मिलित हैं) जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थी। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान दो[3] सार्वजनिक उपक्रमों को भंग कर दिया गया एवं इन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (5) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए। इसके अतिरिक्त, तीन[4] सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व नियंत्रक कम्पनी (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) एवं एक निजी कम्पनी[5] के मध्य निष्पादित शेयर क्रय करार के अन्तर्गत हस्तांतरित किया गया।

2. सार्वजनिक उपक्रमों का 30 सितंबर 2018 को नवीनतम लेखों के अनुसार वित्तीय प्रदर्शन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। पीएसयूज की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

---

1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम।

2 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम वह हैं जो अपने व्यवसायिक कार्यों का समापन कर चुके हैं ।

3 पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (अगस्त 2017) एवं लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (अगस्त 2017) ।

4 बाड़मेर ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड, हाड़ौती ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड एवं थार ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड ।

5 अदानी प्रसारण लिमिटेड ।

तालिका 1: प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि[6] के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 को बकाया (बकाया कुल लेखे) थे
		2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2015-16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत कम्पनियां[7]	37	25	2	1	28	12 (16)
सांविधिक निगम	3	2	1	-	3	1 (1)
कुल कार्यरत पीएसयूज	**40**	**27**	**3**	**1**	**31**	**13 (17)**
अकार्यरत सरकारी कम्पनियां	3	-	-	-	-	3 (6)
कुल	**43**	**27**	**3**	**1**	**31**	**16 (23)**

कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने 30 सितंबर 2018 को अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 69516.67 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 (₹ 840263 करोड़) के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.27 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1822.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2018 को राज्य पीएसयूज में लगभग एक लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

तीन[8] अकार्यरत पीएसयूज हैं जो गत दो से 18 वर्षों की अवधि से अक्रियाशील हैं एवं जिनमें कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़, जिसमें पूंजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹ 16.27 करोड़) सम्मिलित था। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं।

जवाबदेयता संरचना

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के सम्बन्धित प्रावधानों के द्वारा शासित होती हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं

---

6 अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक।

7 सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं ।

8 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड।

आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी[9] को इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है। ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंर्तगत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है । कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कम्पनीयों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनीयों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिनों के अंदर की जानी चाहिए एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमुना जांच करवा सकते हैं तथा नमुना जांच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होगें । इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। । सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते है।

9 कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय- (कठिनाइयों को हटाना) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014.

सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

5. *समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता*

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा बनाई गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में रखेगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये भी लगभग समान प्रावधान हैं। यह तंत्र राज्य के समेकित कोष से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख से अगली के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होना चाहिये। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 बताती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक रिपोर्ट एवं सांविधिक निगमों के मामले में जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाती हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी की (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7. राजस्थान सरकार (जीओआर) का पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

- **शेयर पूंजी एवं ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अतिरिक्त, जीओआर समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - जीओआर पीएसयू को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारंटी** -जीओआर वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की गारंटी भी देता है।

8. 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[10] (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	15	-	-	-	15	41876.05	75339.36	117215.41
वित्त	3	-	1	-	4	303.75	311.48	615.23
सेवा	8	1	2	-	11	2434.50	2253.80	4688.30
ढांचागत	4	-	-	-	4	359.86	2693.40	3053.26
अन्य	7	2	-	-	9	491.76	1668.04	2159.80
योग	**37**	**3**	**3**	**-**	**43**	45465.92	82266.08	**127732.00**

स्रोतः पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 40828.27 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 38542.77 करोड़ (94.40 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ ।

9. 31 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है

10 निवेशो में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं ।

चार्ट 1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

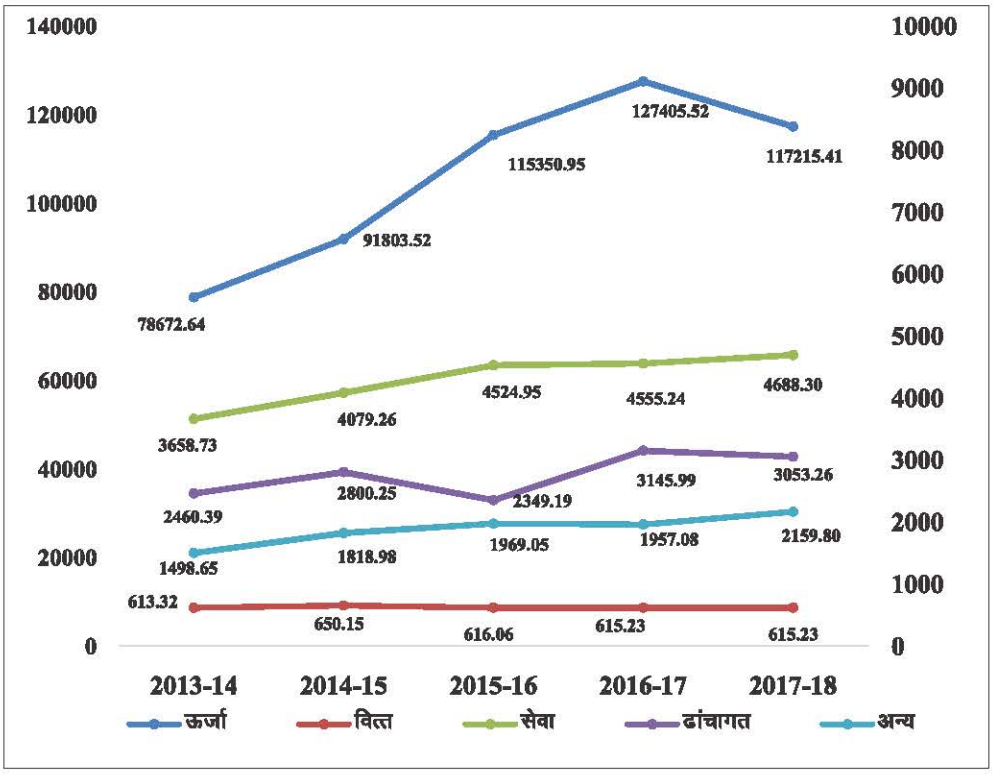

ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग I[11] में 15 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयूज के एवं प्रतिवेदन के भाग II[12] में 28 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

11 भाग I में अध्याय- I (ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का कार्य), अध्याय- II (ऊर्जा क्षेत्र उपक्रम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) एवं अध्याय- III (ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप) सम्मिलित हैं।

12 भाग II में अध्याय- IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का कार्य) एवं अध्याय-V (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप) सम्मिलित हैं।